

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2393

(जिसका उत्तर सोमवार, 8 जुलाई, 2019/17 आषाढ़, 1941 (शक) को दिया जाना है)

जीएसटी से छूट

+ 2393. श्री एंटो एन्टोनी:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को एरनमुला आइने और तांबा एवं टिन जैसे इसके कच्चे माल को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) से छूट प्रदान करने हेतु किसी तबके से अनुरोध/अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार की एरनमुला आइने एवं इसके कच्चे माल को जीएसटी से छूट देने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में वित्त राज्यमंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क): जी, नहीं।

(ख) से (घ): उपर्युक्त उत्तर को देखते हुए ये प्रश्न नहीं उठते हैं।
